



सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की 27वीं बैठक दिनांक 28 जुलाई, 2014 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की 27वीं बैठक दिनांक 28 जुलाई, 2014 को पूर्वान्ह 11:00 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई।


बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् थी:-

1. डा0 हरि शंकर गौड़, कुलपति	अध्यक्ष
2. श्री ओम प्रकाश शर्मा, मा0 विधान परिषद सदस्य	सदस्य
3. श्री संगीत सिंह सोम, मा0 विधायक	सदस्य
4. श्री देवाशीष पाण्डा, प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान	सदस्य
5. डा0 के0सी0 सिंह, प्राचार्य कृषि वैज्ञानिक	सदस्य
6. चौ0 मनोज प्रधान, प्रगतिशील कृषक	सदस्य
7. श्रीमती भारती शर्मा, सामाजिक महिला कार्यकर्त्री	सदस्य
8. श्री पारसनाथ सिंह, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि)	सदस्य
9. श्री नरेन्द्र कुमार, उप निदेशक, मेरठ मण्डल, मेरठ (निदेशक कृषि, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिनिधि)	सदस्य
10. प्रौ0 जसवन्त सिंह नेगी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ (प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि)	सदस्य
11. श्री सत्येन्द्र कुमार, वित्त नियंत्रक	सचिव

मा0 कुलपति जी द्वारा माननीय प्रबन्ध परिषद के सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया। विश्वविद्यालय की प्रगति एवं समस्याओं के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी।

प्रस्ताव संख्या 27.1 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 26वीं बैठक दिनांक 22 फरवरी, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 22 फरवरी, 2014 को सम्पन्न 26वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।


28/7/14


28/7/14

प्रस्ताव संख्या 27.2 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 26वीं बैठक दिनांक 22 फरवरी, 2014 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2014 को सम्पन्न 26वीं बैठक की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। बिन्दु संख्या-26.6 पर गठित समिति की डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की संस्तुतियों सहित अन्य संस्तुतियों को भी अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव संख्या-27.3 : विश्वविद्यालय के अधिकारियों को प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार प्रतिनिधानित किये जाने का प्रस्ताव।

मा0 प्रबन्ध परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार विश्वविद्यालय के अधिकारियों को प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार इस शर्त के साथ प्रतिनिधानित करने की स्वीकृति की गयी है कि स्वीकर्ता अधिकारियों द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं, उ0प्र0 शासन/विश्वविद्यालय के क्रय नियमों/प्रक्रियाओं का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जायेगा तथा इसके लिये स्वयं उत्तरदायी होंगे। जारी की गयी स्वीकृतियों के लिये आवश्यक अभिलेख भी संरक्षित किये जायेंगे:-

क्र0 सं0	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अधिकार	स्वीकृतकर्ता अधिकारी	क्रय प्रक्रिया
01	एक बार में धनराशि रू0 5,000 सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में रू0 50,000 तक परियोजना मद से	परियोजना अन्वेषक	उ0प्र0 शासन/ विश्वविद्यालय की क्रय प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा।
02	एक बार में धनराशि रू0 10,000 सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में रू0 1.0 लाख की सीमा तक	विभागाध्यक्ष/ प्रभारी अधिकारी, शोध केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र	-तदैव-
03	एक बार में धनराशि रू0 20,000 सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में रू0 4.0 लाख की सीमा तक अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/ शिक्षकों/कर्मचारियों के सामान्य यात्रा कार्यक्रम अनुमोदित करना	कुलसचिव/ समस्त अधिष्ठाता	-तदैव-
04	एक बार में धनराशि रू0 20,000 सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में रू0 2.0 लाख की सीमा तक प्रत्येक अनुसंधान केन्द्र/प्रत्येक	निदेशक शोध	-तदैव-

1287/114

1287/114

	परियोजना / शोध निदेशालय मुख्यालय हेतु अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के सामान्य यात्रा कार्यक्रम अनुमादित करना		
05	एक बार में धनराशि रू0 20,000 सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में रू0 2.0 लाख की सीमा तक प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र तथा प्रसार निदेशालय मुख्यालय हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के सामान्य यात्रा कार्यक्रम अनुमादित करना	निदेशक प्रसार	-तदैव-
06	एक बार में तकनीकी प्रकृति (कृषि निवेश, नीलामी, कृषि उपज मूल्य निर्धारण आदि) से भिन्न धनराशि रू0 30,000 तक तथा विद्युत, टेलीफोन के भुगतान सहित समस्त प्रकार के राजकीय देयों का भुगतान एक बार में धनराशि रू0 50,000 तक सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में कोई सीमा नहीं। अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के सामान्य यात्रा कार्यक्रम अनुमादित करना	वित्त नियन्त्रक	-तदैव-

(कार्रवाई: वित्त नियंत्रक)

**प्रस्ताव संख्या-27.4 : वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट
का अनुमोदन।**

वित्त समिति की संस्तुति पर वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट का अनुमोदन करते हुए समय पर अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट तैयार करने पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी। विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में विगत वर्षों की तुलनात्मक स्थिति का विवरण मा0 प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये गये।


28/11/14


28/11/14

(कार्रवाई: वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या-27.5 : पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के 12 विभागों में शिक्षकों के सृजित परन्तु रिक्त पदों के विरुद्ध धनराशि रू0 25000/- प्रतिमाह के मानदेय पर Teaching Associates की नियुक्ति किया जाना।

पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के 12 विभागों में आवश्यकतानुसार शिक्षकों के सृजित परन्तु रिक्त पदों के विरुद्ध धनराशि रू0 25000/- प्रतिमाह के मानदेय पर Teaching Associates के पदों हेतु M.V.Sc. & A.H. की न्यूनतम योग्यता के अभ्यर्थियों को एक-एक सेमेस्टर की अवधि के लिये संविदा के आधार पर रखने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

(कार्रवाई: कुलसचिव/अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय)

प्रस्ताव संख्या-27.6 : डा0 डी0के0 सचान, प्रशिक्षण सहायक (सस्य विज्ञान) एवं श्री तेज बहादुर यादव, प्रशिक्षण सहायक (पशुपालन) वेतनमान रू0 1740-3000 को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वेतनमान रू0 2200-4000 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 8000-13500) प्रदान किये जाने पर पुर्नविचार।

डा0 डी0के0 सचान, प्रशिक्षण सहायक (सस्य विज्ञान) एवं श्री तेज बहादुर यादव, प्रशिक्षण सहायक (पशुपालन) वेतनमान रू0 1740-3000 को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वेतनमान रू0 2200-4000 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 8000-13500) प्रदान किये जाने पर पुर्नविचार करते हुए कार्यक्रम सहायक/अनुसंधान सहायक समतुल्य पदों के पुनरीक्षित वेतनमान रू0 5500-9000 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तथा विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक एवं कुलपति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्यक्रम सहायक/अनुसंधान सहायक आदि पदधारकों को गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उधम सिंह नगर की भांति दिनांक 01 अप्रैल, 2002 से वेतनमान रू0 5500-9000 स्वीकृत करने पर सहमति व्यक्त की गयी।

 28/1/14

 28/1/14

(कार्रवाई: कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या-27.7 वित्त समिति की षष्टम् बैठक के निर्णयों का अवलोकन एवं अनुमोदन।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा वित्त समिति की संस्तुतियों को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा कार्यदायी संस्थाओं की बैठक आयोजित कर धनराशि रू0 260 करोड़ के अग्रिमों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजित कराया जाये तथा मा0 प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में इस सम्बन्ध में प्रगति से अवगत कराया जाये।

<p>प्रस्ताव संख्या-6.3</p>	<p>वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट मा0 प्रबन्ध परिषद की अनुमति हेतु संस्तुति की गयी। वित्त समिति द्वारा अपेक्षा की गयी कि कैशबुक तथा बैंक अवशेष का मिलान कर अन्तर का समाधान करते हुए तत्काल कैशबुक में समाधान की प्रविष्टियाँ की जायें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए वित्त समिति को अवगत कराया जाये। बैंक समाधानीकरण विवरण तथा अग्रिम के पृष्ठ संख्या-5 पर दिनांक 27 अप्रैल, 2005 को धनराशि रू0 16,800.00 का नकद जमा न पाया जाना अंकित है। यह प्रकरण काफी गम्भीर है। सम्बन्धित कार्मिक का स्पष्टीकरण प्राप्त कर तत्काल अग्रेत्तर कार्रवाई की जाये।</p> <p>(कार्रवाई: वित्त नियंत्रक)</p>
<p>प्रस्ताव संख्या-6.4</p>	<p>वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय के शिक्षण लेखा शीर्ष, फार्म लेखा शीर्ष, आई0सी0ए0 आर0 विकास निधि, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण/अनुरक्षण हेतु उपलब्धता के आधार पर कुल धनराशि रू0 47552178.00 के कार्यों के लिए मा0 प्रबन्ध परिषद की अनुमति हेतु संस्तुति की गयी।</p> <p>(कार्रवाई: वित्त नियंत्रक/नोडल अधिकारी, निर्माण)</p>
<p>प्रस्ताव संख्या-6.5</p>	<p>विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में विभिन्न स्थानों, महाविद्यालयों एवं अन्य भवनों में तथा उनके आस-पास कृषि एवं पशु विज्ञान सम्बन्धी पत्थर की कलाकृतियों (म्यूरल्स) तथा पौधों एवं पशु-पक्षियों की आकृतियों (टोपएयरी) की संरचना एवं स्थापना</p>

7287114

7287114

	<p>हेतु अनुमानित लागत धनराशि रू0 4.00 लाख (रू0 चार लाख मात्र) का व्यय शिक्षण मद से वहन करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।</p> <p>(कार्रवाई: विभागाध्यक्ष उद्यान/वित्त नियंत्रक)</p>
<p>प्रस्ताव संख्या-6.6</p>	<p>विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में मौलिक एवं मानविकी विज्ञान महाविद्यालय तथा प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के बीच स्थित तथा वर्तमान में अप्रयोज्य पड़ी भूमि पर एक केन्द्रीय पार्क की स्थापना हेतु प्रथम चरण में धनराशि रू0 25 लाख व्यय की स्वीकृति शिक्षण मद से करने के प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ सहमति व्यक्त की गयी कि वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु पूर्व में अनुमोदित आय-व्ययक में धन की उपलब्धता होने पर ही अग्रेत्तर कार्रवाई की जाये।</p> <p>(कार्रवाई:विभागाध्यक्ष उद्यान/वित्त नियंत्रक)</p>
<p>प्रस्ताव संख्या-6.7</p>	<p>निर्धारित की गयी दरों का अनुमोदन किया गया।</p> <p>(कार्रवाई: निदेशक प्रसार)</p>
<p>प्रस्ताव संख्या-6.8</p>	<p>वित्त समिति द्वारा अवशेष धनराशि रू0 2602595447.00 के अभी तक समायोजित न करने पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा उक्त धनराशि को शीघ्र समायोजन हेतु निर्देश दिये गये। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि असमायोजित अग्रिमों के समायोजन हेतु कार्रवाई में देरी करने वाली कार्यदायी संस्थाओं के विभागाध्यक्षों तथा शासन को इस सम्बन्ध में अवगत कराते हुए प्रभावी कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाये। एक माह के अन्दर स्टेटस से अवगत कराया जाये। कुलपति जी के स्तर पर बैठक आहूत कर समायोजन किया जाये।</p> <p>(कार्रवाई: वित्त नियंत्रक/नोडल अधिकारी, निर्माण)</p>
<p>प्रस्ताव संख्या-6.9</p>	<p>विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक कार्यालय में जारी नागरिक चार्टर का अवलोकन कर प्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निर्देश दिये गये कि इसी प्रकार अन्य विभागों के लिए भी शीघ्र नागरिक चार्टर लागू करने का प्रयास किया जाये।</p> <p>(कार्रवाई: वित्त नियंत्रक)</p>

1287114

Hh

प्रस्ताव संख्या-6.10	विश्वविद्यालय में एन0आई0सी0 द्वारा निर्मित ई-ऑफिस एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए विश्वविद्यालय के समस्त विभागों को "पेपरविहीन" किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। (कार्रवाई: वित्त नियंत्रक)
प्रस्ताव संख्या-6.11	कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत धनराशि रू0 3.00 लाख पूर्व स्वीकृति से अतिरिक्त स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी। (कार्रवाई: प्रभारी अधिकारी, लैंड स्केपिंग/ वित्त नियंत्रक)

(कार्रवाई: वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या-27.8 विश्वविद्यालय के विज्ञापन संख्या-III/2014 द्वारा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सक्षम स्तर से गठित की गयी चयन समितियों की संस्तुतियों पर विचार किया जाना।

शासन द्वारा स्वीकृत पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय के पदों से सम्बन्धित विज्ञापन संख्या III/2014 के माध्यम से विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों हेतु साक्षात्कार दिनांक 17.04.2014, 18.07.14 एवं 19.07.14 को सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में आयोजित किये गये। 27वीं बैठक में मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा साक्षात्कार के 07 बन्द लिफाफो को खोला गया। विधिवत गठित चयन समिति की संस्तुति पर मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा निम्नलिखित श्रेष्ठता सूची का अनुमोदन करते हुये श्रेष्ठता सूची में चयनित प्रथम अभ्यर्थी तथा उनके न आने, या अस्वीकार करने पर संस्तुत प्रतीक्षा सूची से वरीयता क्रम में अगले संस्तुत अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिये मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

क्र0 सं0	विभाग का नाम	कैटेगरी (पद सं0)	साक्षात्कार का दिनांक	मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया पैनल।
1	Assistant Professor Veterinary Biochemistry	SC (01)	17.07.2014	Mahesh Kumar Bharti * S/o Shripal Singh
2	Assistant Professor Animal Nutrition	GEN (01)	18.07.2014	1- Sachin Kumar S/o B. Kumar WL1- Ajit Kuamr S/o R. P Singh WL2- Umesh Balaji Sontakke S/o Sontakke Balaji Vithalrao
		ST (01)		* Subject to VCI Approval, to be sought.

7/28/14

Shri
28/7/14

3	Assistant Professor Public Health & Epidemiology	SC (01)	18.07.2014	Dr. Jinu Manoj D/o John
4	Assistant Professor Live Stock Production & Management	GEN (01)	18.07.2014	1-Ahmad Fahim S/o Aijaz Ahmad WL1- Shilpi Kerketta D/o A K Kerketta WL2- Shailandra Kumar Rajak S/o Suresh Baitha
		SC(PH) 01		-
5	Associate Professor Animal Genetics & Breeding	OBC 01	19.07.2014	Neelam Bala D/o Late Dr. Daya Singh
6	Assistant Professor Veterinary Microbiology	SC 01	19.07.2014	Sanjiv Kumar S/o Brij Raj
7	Assistant Professor Animal Genetics & Breeding	OBC 01	19.07.2014	1-Devesh Kumar Yadav S/o Ram Kunwar Yadav WL1- Ramji Yadav S/o Sh. Rajdev Yadav

विज्ञापन संख्या-III/2014 द्वारा विज्ञापित जिन पद पर उम्मीदवार न आने अथवा न होने के कारण साक्षात्कार नहीं हो सका अथवा कोई उपयुक्त नहीं पाया गया है, उसके लिए पुनः विज्ञापित किये जाने की स्वीकृति दी गयी।

(कार्रवाई: कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या-27.9 सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में शैक्षणिक संवर्ग के अन्तर्गत प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के सृजित पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को विज्ञापन द्वारा भरे जाने के सम्बन्ध में।

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में शैक्षणिक संवर्ग के अन्तर्गत प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के सृजित पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को विज्ञापन द्वारा भरे जाने के सम्बन्ध में कुलसचिव द्वारा दर्शायी गयी फेजिंग के अनुसार एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विभिन्न वित्त पोषित कृषि विज्ञान केन्द्रों/परियोजनाओं आदि के रिक्त पदों को भरने का माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।


28/7/14


28/7/14

(कार्रवाई: कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या-27.10 डा0 (श्रीमती) संगीता बंसल, सहायक प्राध्यापक (कोमर्शियल बायोटेक), जैव प्रौद्योगिक महाविद्यालय की सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में।

डा0 (श्रीमती) संगीता बंसल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में कार्मिक अनुभाग के नियुक्ति पत्र संख्या-793 दिनांक 23 मार्च, 2005 के अनुपालन में दिनांक 23 मार्च, 2005 के पूर्वाह्न में योगदान किया था। डा0 संगीता बंसल के द्वारा अपना आवेदन पत्र विश्वविद्यालय नियमानुसार उचित माध्यम द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक (बायोटेक प्लान्ट साईंस) के पद पर केन्द्रीय कटाई-उपरान्त अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना के लिये किया था। उक्त पद पर चयन के उपरान्त कार्मिक अनुभाग के पत्रांक संख्या-591 दिनांक 29 मार्च, 2011 द्वारा डा0 बंसल को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दो वर्ष का अवैतनिक असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया था। उक्त के अनुपालन में अधिष्ठाता, जैव प्रौद्योगिक महाविद्यालय के पत्र संख्या-1994 दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा डा0 बंसल को कार्यमुक्त किया गया। जिसके अनुसार डा0 बंसल को दिनांक 01 अप्रैल, 2013 को कार्यभार ग्रहण करना चाहिए था परन्तु उनके द्वारा प्रेषित विभिन्न अनुरोध पत्रों पर मा0 कुलपति जी द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये उनकी अवैतनिक असाधारण अवकाश को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये दिनांक 31 मार्च, 2014 तक बढ़ायी गयी। इसके उपरान्त डा0 संगीता बंसल के अनुरोध पत्र दिनांक 13 मार्च 2014 पर मा0 कुलपति जी ने पत्र संख्या-2811 दिनांक 02 अप्रैल, 2014 द्वारा निर्देश दिये गये कि पूर्व प्रेषित पत्र संख्या-2707 दिनांक 20 फरवरी, 2014 में दिये गये निर्देश का अनुपालन तुरन्त सुनिश्चित करें परन्तु उक्त पत्र के अनुपालन में डा0 बंसल द्वारा न ही सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ में अपने विभाग में कार्यभार ग्रहण किया गया और न ही इस संबंध में कोई पत्राचार किया गया। जैव प्रौद्योगिक महाविद्यालय के कोमर्शियल बायोटेक विभाग में अन्य कोई शिक्षक नियुक्त नहीं है जिससे छात्रों के पठन-पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है।

अतः उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए डा0 (श्रीमती) संगीता बंसल, सहायक प्राध्यापक (कोमर्शियल बायोटेक), जैव प्रौद्योगिक महाविद्यालय की सेवायें समाप्त करने के हेतु माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।


28/11/14


28/11/14

(कार्रवाई: कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या-27.11 महामहिम कुलाधिपति जी के प्रमुख सचिव के पत्रांक ई-4827/जी0एस0 दिनांक 09 जून, 2014 को डा0 रघुवीर सिंह, कार्यवाहक अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिट याचिका संख्या-35263/2014 डा0 रघुवीर सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य के द्वारा चुनौती दी गई है। माननीय न्यायालय के उक्त रिट याचिका पर पारित आदेश दिनांक 22 जुलाई, 2014 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव को मा0 प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में रखने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्रवाई: कुलसचिव)


मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या-27.12 विद्वत परिषद की 52वीं बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 26 जुलाई, 2013 के सम्बन्ध में।


माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा विद्वत परिषद की 52वीं बैठक दिनांक 26 जुलाई, 2013 की संस्तुतियों को अनुमोदित किया गया।

(कार्रवाई:-कुलसचिव)

अन्त में सचिव मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।


(सत्येन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक/सचिव, मा0 प्रबन्ध परिषद

अनुमोदित


(डा0 हरि शंकर गौड़)
कुलपति/अध्यक्ष, मा0 प्रबन्ध परिषद



सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की परिचालन द्वारा आहूत बैठक का कार्यवृत्त

महामहिम राज्यपाल/कुलाधिपति जी के सचिव के पत्र संख्या-ई-2900/जी0एस0 दिनांक 23 अप्रैल, 2014 प्राप्त निर्देशों के क्रम में सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ में चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की परिनियमावली अंगीकृत करने हेतु माननीय प्रबन्ध परिषद के सभी मा0 सदस्यों को परिचालन द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र संख्या-सवप/2014/प्र0प0/3966 दिनांक 27 मई, 2014 के माध्यम से सहमति हेतु अनुरोध किया गया।

प्रस्ताव : सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ में चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की परिनियमावली अंगीकृत करने हेतु परिचालन द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना।

माननीय प्रबन्ध परिषद के मा0 सदस्यों को सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की परिनियमावली अंगीकृत करने हेतु परिचालन द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र संख्या-सवप/2014/प्र0प0/3966 दिनांक 27 मई, 2014 के माध्यम से सहमति हेतु अनुरोध किया गया था।


मा0 सदस्यों द्वारा लिखित/मौखिक रूप से उक्त प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की गयी है। इस प्रकार सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की परिनियमावली अंगीकृत करने का प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा परिचालन के माध्यम से अनुमोदित किया गया।



(सत्येन्द्र कुमार)

वित्त नियंत्रक/सचिव, मा0 प्रबन्ध परिषद

अनुमोदित



(डा0 हरि शंकर गौड़)

कुलपति/अध्यक्ष, मा0 प्रबन्ध परिषद